



न्यायालय श्रीमान भू-राजस्व मण्डल न्यायालय ग्वालियर, भोपालमण्ड.

पुनर्स्थापन-4590/2018/रापसेन/शुल्क  
जुली वर्गिस व अफ, -----

प्र. क्र. आर.-1152-पी. बी. आर./18 रापसेन

----- आवेदकगण,

विरुद्ध,

श्रीमती डोली स्टुअर्ट,

----- अन्त आवेदकगण,

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा-35 भू-राजस्व संहिता ।

-----0-----

आवेदक जुली वर्गिस की ओर से निम्न निवेदनह:-

- 1- यह कि उक्त प्रकरण क्र. आर. 1152-पी. बी. आर./18 रापसेन आज दिनांक को सुनवाई हेतु नियत था ।
- 2- यह कि आवेदक/अधिवक्ता के वाहन छाराब होने व कर्षा अधि होने से देरी के कारण अदम पेरवी में माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को छारिज कर दिया गया है ।
- 3- यह कि उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष सप्स पेपर प्रकाशन हेतु नियत था ।

//प्रार्थना//

अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि आवेदिका का प्रकरण पुनः नम्बर पर लिए जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान करे

भोपाल, दिनांक 24.07. 2018

आवेदिका,

द्वारा:- *FW*

अधिवक्ता,

श्री राजेन्द्र सोलंकी

*Handwritten signature*

आवेदक अधिवक्ता  
श्री राजेन्द्र सोलंकी  
द्वारा अधिवक्ता  
में प्रस्तुत (4 बंधे)  
*(K)*  
24/7/18

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-7-2018	<p>आवेदक की ओर से श्री राजेन्द्र सोलंकी, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें पुर्नस्थापन आवेदन पत्र पर सुना गया । पुर्नस्थापन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है । मूल प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2018/1152 सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिया जाता है । यह पुर्नस्थापन प्रकरण समाप्त किया जाता है ।</p>	<p>[जुली/अगस्त]</p> <p>अध्यक्ष</p>